TRF

टीआरएफ लिमिटेड
A TATA Enterprise

पंजीकृत कार्यालय : 11, स्टेशन रोड, बर्मामाइंस, जमशेदपुर – 831007
फोन : +91-657 3046326, फैक्स : 91 657 2345732,
ईमेल : comp_sec@trf.co.in, वेबसाईट : www.trf.co.in
CIN: L74210JH1962PLC000700

सूचना

कंपनी के इक्विटी शेयरों का निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष (IEPF)में अंतरण

यह सूचना कंपनी अधिनियम 2013 सहपठित निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष प्राधिकार (लेखा, अंकेक्षण अंतरण एवं वापसी) नियम – 2016, जो 7 सितंबर 2016 से लागू हुए हैं और बाद में 28 फरवरी 2017 को संशोधित रूप (नियम/"The Rules") के लागू योग्य प्रावधानों के अनुरूप प्रकाशित किया जा रहा है।

इन नियमों में, अन्य मामलों के साथ, IEPF को भुगतान नही किए गए या दावा नहीं किए गए लाभांश और शेयरों के अंतरण का प्रावधान भी सम्मिलित है, जिसके संबंध में IEPF के खाते में लगातार सात 7 वर्षों तक अथवा इससे अधिक समय से भुगतान अथवा दावा नहीं किया गया है।

संबंधित शेयरधारकों को कंपनी ने दिनांक 25 अप्रैल 2019 के पत्र के माध्यम से उचित कार्रवाई (ओं) हेतु उनके निबंधित पते पर व्यक्तिगत रूप से सूचना प्रेषित की है जिनके लाभांश का दावा नहीं किया गया है तथा नियमों के अन्तर्गत जिनके शेयर (रों) को IEPF में अन्तरित किये जाने हैं। कंपनी ने संबंधित शेयरधारकों, जिनके शेयर (रों) को IEPF में अंतरित किया जाना है, की पूरी विस्तृत जानकारी अपने वेबसाईट www.trf.co.in. पर भी उपलब्ध करवाया है। शेयरधारकों से निवेदन है कि वे अपने बिना दावा के लाभांश (शों) तथा IEPF में अन्तरित किए जाने वाले शेयर (रों) के संबंध में विवरण सत्यापित कर लें।

इसलिए, शेयरधारकों से निवेदन है कि वे विविधित हस्ताक्षरित अनुरोध फॉर्म को टीएसआर दरशाव लिमिटेड, कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंटों को 31 अगस्त 2019 तक या उससे पहले वापस भेजकर बिना भुगतान किए गए लाभांश का दावा करें जिसे 25 अप्रैल 2019 के पत्र के साथ संबंधित पंजीकृत पते पर भेजा गया है।

ऐसे मामलों में यदि कंपनी को 31 अगस्त 2019 तक संबंधित शेयरधारक (कों) से वैध दावा प्राप्त नहीं होता है, तो वैसे शेयरों को कंपनी द्वारा बिना किसी अग्रिम सूचना के IEPF प्राधिकरण के खाते में अंतरित कर दिया जाएगा।

शेयरधारकों का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया जाता है कि बिना दावे के लाभांश (शों) तथा इक्विटी शेयर (रों) जिन्हें IEPF में अंतरित कर दिया गया है, जिसमें उन शेयरों पर अर्जित सभी लाभ भी शामिल हैं, यदि हो तो, उसके लिए निर्धारित IEPF–5 फॉर्म भरकर ऑनलाइन आवदेन देकर दावे किए गए जा सकते हैं, विधिवत भरे गए फॉर्म के समर्पण के साथ, शेयरधारकों को उनकी प्रतिलिपि लेने की आवश्यकता होगी तथा फार्म IEPF –5 में विनिर्देशित आवश्यक दस्तावेजों के साथ भौतिक प्रतिलिपि पर हस्ताक्षर करके (कंपनी के पास दर्ज नमूना हस्ताक्षर के अनुसार) इसे प्रेशित करना होगा।

संबंधित शेयरधारकों, जिनके पास शेयर भौतिक प्रारूप में हैं, और जिनके शेयर IEPF में अंतरण किये जाने योग्य हैं, कृपया ध्यान दें कि कंपनी डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र पत्रों को जारी करेगी और कथित शेयरों का IEPF में अंतरण कर दिया जाएगा। ऐसे डुप्लीकेट शेयर प्रमाण पत्र पत्रों के जारी होने पर, शेयरधारकों के नाम मूल शेयर प्रमाण पत्र (पत्रों) जिनका निबंधन शेयरधारक के नाम से है–निरस्त समझे जाएंगे। जहां शेयर डीमैट प्रारूप में धारित है और वे IEPF में अंतरण के योग्य हैं –कंपनी जमाकर्ताओं को कॉर्पोरेट कार्रवाई के रूप में उपयुक्त निर्देश इस प्रकार देगी कि जमाकर्त्ता कथित शेयरों को IEPF प्राधिकार के डीमैट खाते में अंतरण कर सके।

शेयरधारक आगे ध्यान दें कि कंपनी द्वारा इसके वेबसाइट पर अपलोड किए गए विवरणों को माना जाना चाहिए और इसे नियमों के अनुरूप IEPF में शेयरों के अंतरण के उद्देश्य से कंपनी द्वारा डुप्लिकेट शेयर सर्टिफिकेट जारी करने के संबंध में पर्याप्त नोटिस समझा जाएगा। कृपया ध्यान दें कि IEPF में अंतरित दावा नहीं किए गए लाभांश राशि और इक्विटी शेयरों के संबंध में कंपनी के खिलाफ कोई दावा नहीं किया जाएगा।

इस विषय पर किसी अन्य जानकारी के लिए शेयरधारकों से निवेदन है कि वे हमारे कंपनी के रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट, टीएसआर दाराशॉ लिमिटेड से संपर्क करें। यूनिटः टीआरएफ लिमिटेड, 6–10 हाजी मूसा पटरावाला, इंडस्ट्रीयल इस्टेट, 20, डॉ. ई. मोजेस रोड, महालक्ष्मी, मुंबई–400 011 ईमेलः csg-unit@tsrdarashaw.com; फोन : 022-6656 8484 फैक्सः 022-6656 8494 वेबसाईटः www.tsrdarashaw.com

कृते टीआरएफ लिमिटेड
शुभाशीष दत्ता
कंपनी सचिव

2 मई 2019
जमशेदपुर